(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 650–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 77/अपील/2012–13.

....

1–मेहरबानसिंह पिता प्रेमसिंह
निवासी ग्राम बारोली तहसील सांवेर
जिला इंदौर
2–धनसिंह पिता श्री प्रेमसिंह
निवासी ग्राम बारोली तहसील सांवेर
जिला इंदौर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

ईडन गार्डन सहकारी गृह निर्माण मर्यादित,
32 बक्षी गली तहसील एवं जिला इंदौर
तर्फे अध्यक्ष निलेश पिता बनवारी लाल पंसारी
निवासी रिद्धी सिद्धी काम्पलेक्स, ग्राम खजराना,
इंदौर म0प्र0 .... अनावेदक

....

श्री एस0पी0वक्ते , अभिभाषक– आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्ररतुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 15 दिनांक 22–4–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21–5–2013 को लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अनावेदक द्वारा खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 3–9–07 को प्राप्त की थी, अतः ग्राम पंचायत के आदेश की जानकारी उन्हें दिनांक 3–9–07 को ही हो गई थी । इसके बावजूद भी 5 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय सीमा में मान्य करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा पुनः वर्ष 2002–03 लगायत 2005–07 तक की खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 6–11–12 को प्राप्त की है उसके 5 माह पश्चात् दिनांक 20–4–13 को अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिये 45 दिवस की समय सीमा निर्धारित है, अतः जानकारी के दिनांक से भी अनावेदक की ओर से अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जिस आदेश/प्रविष्टि को चुनौती दी गई है उसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अनावेदक को सूचना दिया जाना भी आवेदक ने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जानकारी के दिनांक से अपील समय सीमा में मान्य करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 651–पीबीआर/2014 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 652–पीबीआर/2014 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर